अध्याय 7

निगरानी और मूल्यांकन

7 अध्याय

निगरानी और मूल्यांकन

7.1 निगरानी का विहंगावलोकन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सचिव (विद्युत) के अधीन एक संचालन समिति को परियोजनाओं को, अनुमानों के संशोधन रूपांतरण सहित, स्वीकृत करना था, तथा योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण और निगरानी करनी थी। राज्य स्तर पर, राज्य द्वारा मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा/एनर्जी) की अध्यक्षता में बनाई गई एक वितरण सुधार समिति (डी.आर.सी.) द्वारा परियोजना की निगरानी की जानी थी।

क्यू.ए. के पैरा 14 ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह अनुबद्ध किया कि राज्य प्रायोगिकी केन्द्र सरकार/केन्द्रक अभिकरण अथवा इसके द्वारा नामित एजेंसी को, इसके द्वारा बनाए जाने वाले बही खातों और अन्य दस्तावेज को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त, पी.एफ.सी. द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्रों में, लेनदारों द्वारा उचित लेखों को बनाया जाना तथा वार्षिक लेखों के बन्द होने के 3 महीनों के भीतर बिना लेखापरीक्षा के और 7 महीनों के भीतर लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। इसके अतिरिक्त क्यू.ए. के पैरा 12 (एच) ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह अनुबद्ध किया कि प्रायोगिकी अपने वैब पोर्टल के द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन, निधियों के उपयोग की प्रगति के संबंध में पी.एफ.सी./एम.ओ.पी. को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। क्यू.ए. के पैरा 3.8 के अनुसार, पी.एफ.सी को एम.ओ.पी. के विचार के लिए, भाग 'ए' और भाग 'बी' परियोजनाओं के निगरानी प्रारूपों को बनाना था, व भाग 'ए' और भाग 'बी' परियोजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों और परिदेयों के विरूद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करनी थी।

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि परियोजना–वार व्यय का विवरण एकत्र और/या सत्यापित नहीं किया गया। मासिक समीक्षा बैठकों के बावजूद, वितरण के केवल 50 प्रतिशत के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया गया था, अधिकतर मामलों में केवल प्रथम किस्त जारी की गई थी, निष्पादन के दौरान मात्राओं में भिन्नता, योजनाओं का परस्पर व्यापन, निधियों का विपथन, ए.टी. एण्ड सी. हानियों में वृद्धि को पाया गया जैसा कि इस प्रतिवेदन के पिछले अध्यायों में विशेष रूप से दर्शाया गया है।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे पैरों में प्रस्तुत हैं:

7.2 डी.आर.सी. द्वारा माईलस्टोनों और लक्ष्यों की निगरानी न करना

आर.–ए.पी.डी.आर.पी. दिशानिर्देशों के पैरा 10.2 के अनुसार मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (विद्युत/उर्जा) की अध्यक्षता में बनाई गई राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति (डी.आर.सी.) द्वारा राज्य स्तर पर योजना की निगरानी की जाएगी। X योजना में ए.पी.डी.आर.पी. के कार्यान्वयन के लिये राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत यह डी.आर.सी. स्थापित की गई थीं। डी.आर.सी. द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई थी, वितरण कम्पनियों के परियोजना प्रस्तावों की अनुशंसा एम.ओ.पी. से करनी थी; और आर–ए.पी.डी.आर.पी. योजना के अंतर्गत लक्ष्यों और माईलस्टोन्स की प्राप्ति की निगरानी करनी थी। उपरोक्त कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डी.आर.सी. की बैठकों के आवर्तन पर राज्यों को निर्णय करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- डी.आर.सी. की बैठकों की आवर्तिता राज्यों में, एक पखवाड़े में एक बार से लेकर एक वर्ष में एक बार तक भिन्न–भिन्न थी।
- सात [33] राज्यों में डी.आर.सी. ने योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों व माईलस्टोन्स की अथवा शर्तों के अनुपालन की निगरानी नहीं की।
- अपने प्रारंभ से डी.आर.सी. **पुडुचेरी** और **जम्मू व कश्मीर** में दो बार, **असम**, **त्रिपुरा** और **मणिपुर** में तीन बार, **बिहार** में सात बार और **तमिलनाडु** में दस बार मिली थी।

एम.ओ.पी. (मार्च 2016) ने इन अवलोकनों पर कोई टिप्पणी नहीं की।

7.3 राज्य स्तर पर पाए गए अन्य मामले

लेखापरीक्षा ने दिशा निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त राज्य स्तर पर परियोजना की निगरानी के प्रभाव का विश्लेषण किया। निष्कर्षों की चर्चा निम्नानुसार है:–

- **सिक्किम** में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
- **असम** में, यद्यपि परियोजना की निगरानी आवश्यकता के अनुसार प्रायोगिकी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी, फिर भी निगरानी के लिए कोई प्रक्रिया/प्रणाली निर्धारित नहीं की गई थी।
- **मणिपुर** में, प्रौद्योगिकी ने परियोजना निगरानी को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से, टर्नकी फर्मों (टी.के.एफ.) के साथ उप–महा प्रबन्धक (डी.जी.एम.) स्तर की अनिवार्य पाक्षिक बैठक के उद्देश्य से एक परियोजना निगरानी इकाई (जून 2014) बनाई। डी.जी.

[33] आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और तेलंगाना

एम. को मासिक बैठकों के कार्यवृत की प्रतियाँ महाप्रबंधकों, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) और प्रबंध निदेशक को भेजनी थी। इसके अतिरिक्त, टी.के.एफ. को अपनी जनशक्ति बढ़ानी थी और प्रबन्धन क्षमता के साथ कर्मचारियों की भर्ती करनी थी और कार्य निष्पादन अनुसूची के साथ परिनियोजित जनशक्ति की सूची डी.जी.एम. को उपलब्ध करवानी थी। मंडल कार्यालयों के दस्तावेजों की नमूना जाँच में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिले जिससे यह प्रकट हो कि पाक्षिक बैठकें हुई थी या टी.के.एफ. द्वारा जनशक्ति परिनियोजित की गई थी और टी.के.एफ. से कार्य निष्पादन अनुसूची एकत्र की गई थी।

- **पश्चिम बंगाल** में, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी. सी.एल.) ने (अगस्त 2007) में आर–ए.पी.डी.आर.पी. योजना सहित डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी. एल. द्वारा निष्पादित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के नियन्त्रण के लिए परियोजना मूल्यांकन एवं निगरानी समिति (पी.ए.एम.सी.) का गठन किया। जनवरी 2009 और मार्च 2015 के मध्य, पी.ए.एम.सी. 23 अवसरों पर मिली। पी.ए.एम.सी. की बैठकों के कार्यवृत की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि आर–ए.पी.डी.आर.पी. पर केवल सरसरी रूप से चर्चा की गई।

- पाँच राज्यों[34] में परियोजनाओं के निष्पादन मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए।

- **उत्तर प्रदेश** में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) स्तर पर की गई बैठकों के कार्यवृत नहीं रखे गये थे जिस कारण सी.ई.ओ. स्तर की निगरानी बैठकों में सुझाई गई उपचारी कार्यवाही और उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही के सुरक्षा साक्ष्य लेखापरीक्षा में नहीं मिले।

- चार राज्यों[35] में निष्पादन मापदण्डों के बेंचमार्कों के साथ कोई तुलना नहीं की गई और उपचारी/सुधारात्मक कार्यवाही भी नहीं की गई।

- **पंजाब** में, पी.एस.पी.सी.एल के जवाब के अनुसार, ठेकेदारों के साथ पुनरीक्षण बैठकें नियमित रूप से की गई। तथापि, बेंचमार्क मापदण्डों के समक्ष, प्रगति के तुलना पत्रों का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

- **जम्मू एवं कश्मीर** में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए विभाग द्वारा रखी गई डी.आर.सी. बैठक/पुनरीक्षण बैठक में पी.एफ.सी. के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। यद्यपि, पी.एफ.सी.से नॉडल अधिकारी राज्य का दौरा कर रहा था, परन्तु लिखित टिप्पणियों/आदेशों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

---

34 मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, और सिक्किम

35 महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम

- **झारखण्ड** में, यह देखा गया कि पुनरीक्षण बैठकों में प्रायोगिकियों द्वारा दी गई वचनबद्धताऐं अपूर्ण रहीं। (सितम्बर 2015)।

एम.ओ.पी. ने अवलोकन पर कोई टिप्पणियाँ नहीं की (मार्च 2016)।

अनुशंसा

6. वितरण सुधार समिति तथा संचालन/पुनरीक्षण समिति के स्तर पर निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिये जिससे कि परियोजनाएँ समय पर पूर्ण हों।